

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा
डिक्री

दिनांक :- 22/12/25



वादीगण की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 की वादीगण से श्री नवीन कुमार अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा एवं सहमती के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार घोषणा की जाती है:-

क. वादीगण को चक 5 एलजीडब्ल्यू के खाता सं 59/47 के प.नं. 39/274 (2) किला नं. 14/1, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 19, 22, 24, 25/3, 25/4 की 2.125 हैक, नहरी अनकमांड मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी में से 1.265 हैक. नहरी अनकमांड मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किये जातें है शेष रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगा।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 22/12/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल)
सहायक कलक्टर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

